स्वयं सहायता समूह को वित्तपोषण (एसएचजी)

उद्देश्य :

क) औपचारिक ऋण संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों और तकनीकी एवं प्रशासनिक क्षमताओं की सामर्थ्य के साथ अनौपचारिक ऋण प्रणाली की संवेदनशीलता, लचीलापन और उत्तरदायित्व के संयोजन से गरीबों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक ऋण रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से।

ख) बैंकर एवं ग्रामीण गरीबों के मध्य आपसी विश्वास और समझ का निर्माण करने के लिए / जनसंख्या के एक समूह में बचत के साथ-साथ ऋण दोनों पक्षों में, जिन्हें औपचारिक वित्तीय संस्थानों को आमतौर पर कवर करना कठिन लगता है, बैंकिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए।

समूह का आकार : समूह 10-20 सदस्यों से मिलकर बन सकता है।

ऋण की मात्रा :

ऋण की मात्रा, समूह द्वारा जुटाई गई बचत के अनुपात में होना चाहिए। शाखा द्वारा स्वयं सहायता समूह के आकलन के आधार पर ऋण हेतु बचत का अनुपात 1:1 से 1:4 तक अलग हो सकता है।

एसएचजी को उनके बचत के आधार पर 10 गुणा तक तीन चरणों में वित्तपोषित किया जा सकता है :

प्रथम चरण	समूह के गठन के छ: माह बाद	1:4
द्वितीय चरण	प्रथम वित्तपोषण की तिथि से 1 वर्ष पूरा होने पर	1:7
तृतीय चरण	द्वितीय वित्तपोषण की तिथि से 1 वर्ष पूरा होने पर	1:10

(कृपया विवरण हेतु कोडीकृत पीएसएलबी/डब्ल्यूएस/एसएचजी/परिपत्र सं.06/13 दिनांक 01.04.2013 देखें)